सुदृढ़ प्रजातंत्र हेतु वृहत्तर सहभागिता

कार्यालय, जिला निर्वाचन पदाधिकारी –सह–उपायुक्त, राँची।

(जिला निर्वाचन शाखा)

आदेश

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135(ख) एवं भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 78/2019/EPS दिनांक 22.03.2019 एवं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मंत्रीमंडल निर्वाचन विभाग के पत्रांक 4090 दिनांक– 05.05.2019 के आलोक में निदेश दिया जाता है कि –

1) प्रत्येक व्यक्ति जो किसी कारोबार, व्यवसाय, औधोगिक उपक्रम अथवा किसी अन्य स्थापना में नियोजित है एवं लोकसभा/विधानसभा में मतदान करने के हकदार हैं, को मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जायेगा।
2) उपधारा – 1 के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने की स्थिति में किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या कमी नहीं की जायेगी।
3) राँची जिला के सभी संस्थान/दुकान (शिफ्ट में कार्य कराने वाले संस्थान/दुकान/सिनेमा हॉल/रेस्टोरेन्ट/मॉल/फैक्टरी सहित) लोक सभा निर्वाचन –2019 के क्रम में दिनांक 06.05.2019 (मतदान तिथि) को प्रातः 7.00 बजे से अप० 4.00 बजे तक बन्द रहेंगे।
4) दैनिक मजदूरी पर कार्यरत कर्मी एवं आकस्मिक कर्मी भी अवकाश एवं मजदूरी के हकदार होंगे।

उपर्युक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। आदेश का उल्लंघन कानून के सुसंगत धाराओं के अधीन दण्डनीय होगा। यदि आदेश का किसी स्तर पर उलंघन पाया जाता है तो इसकी अविलम्ब शिकायत उप श्रमायुक्त, राँची के मोबाईल संख्या–9431771072 पर की जा सकती है

ह०/–

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
उपायुक्त, राँची।

ज्ञापांक 1069/निर्वा०　　　　राँची दिनांक 05/05/2019

प्रतिलिपिः– मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी–सह–अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रमण्डलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रेक्षक, सामान्य, 08– राँची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि दिनांक 06.05.2019 को सभी दैनिक समाचार पत्रों में इस आदेश को आम सूचना के रूप में प्रमुखता से प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– उप श्रमायुक्त, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि राँची जिला के सभी श्रमिक प्रतिष्ठानों को दिनांक 06.05.2019 को 7:00 बजे पूर्वा० से अप० 4:00 बजे अप० तक के लिए बन्द कराना सुनिश्चित की जाय।

प्रतिलिपि :– श्रम अधीक्षक –1 एवं 2 को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
उपायुक्त, राँची।

Scanned by CamScanner